



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

परिपत्र सं.आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/पीआरओ/166/08/2023

Cir No. IRDAI/ACTL/CIR/PRO/166/08/2023

दिनांक / Date: 31.08.2023

परिपत्र
Circular

प्रति / To,
सभी जीवन बीमाकर्ता / All Life Insurers

विषय: जीवन बीमाकर्ताओं के प्रत्याहरित उत्पादों के लिए अनुमत आशोधन

Subject: Modifications permitted to withdrawn Products of Life Insurers

1. यह परिपत्र बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, 1999 की धारा 14 (2) (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है।

This circular is issued in exercise of powers conferred by Section 14 (2) (e) of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.

2. **प्रयोज्यता:** यह परिपत्र प्रत्याहरित उत्पादों के लिए लागू होगा जो नये व्यवसाय के लिए बंद किये गये थे और बीमाकर्ता की बहियों में जिनकी वर्तमान पालिसियाँ हैं।

Applicability: This circular shall be applicable for withdrawn products which were closed for new business and have existing policies in insurer's books.

3. **उद्देश्य / Objective:**

(i) वर्तमान पालिसीधारकों को अतिरिक्त विकल्प / लाभ उपलब्ध कराना।
To provide additional options / benefits to existing policyholders.

(ii) यह सुनिश्चित करते हुए संवर्धित लचीलापन उपलब्ध कराना कि पालिसीधारकों के लाभ प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होंगे।

To provide enhanced flexibility while ensuring that policyholders benefits are not adversely impacted.

4. जीवन बीमा परिषद से प्राप्त अभ्यावेदन की सावधानी पूर्वक जाँच करने के उपरांत तथा उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, जीवन बीमाकर्ताओं के प्रत्याहरित उत्पादों के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है:

After careful examination of the representation from Life Insurance Council and keeping in view the objectives stated above, it has been decided to allow the following options in respect of withdrawn products of Life Insurers:

(i) मौजूदा राइडरों का परिवर्धन जो बिक्री के लिए खुले हैं।
Addition of existing riders which are open for sale.

(ii) प्रीमियम भुगतान पद्धतियों (आवृत्तियों) का परिवर्धन।
Addition of premium payment modes (frequencies).

(iii) पुनःप्रवर्तनों / पालिसी ऋणों के लिए ब्याज दर में कमी।

Reduction in interest rate for revivals / policy loans.

- (iv) पालिसीधारकों को देय आय लाभों में एक या उससे अधिक भुगतान आवृत्तियों का परिवर्धन।
Addition of one or more payment frequencies to income benefits payable to policyholders.
5. उपर्युक्त विकल्पों की अनुमति देते समय पूरी की जानेवाली शर्तें:
Conditions to be satisfied while allowing the above mentioned options:
- बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि / The insurer shall ensure that;
- (i) वर्तमान पालिसीधारकों को उपर्युक्त विकल्प देते समय प्रत्याहरित फाइल एण्ड यूज आवेदन परिवर्तित / संशोधित नहीं किये जाएँगे।
withdrawn File and Use applications shall not be altered / amended while offering the above options to the existing policyholders.
- (ii) अब तक किये गये सभी परिवर्तनों को शामिल करते हुए निरंतर आधार पर प्रत्याहरित फाइल एण्ड यूज आवेदन के संबंध में अनुबंध । में निर्धारित फार्मेट के अनुसार कालानुक्रम से परिवर्तनों को सूचीबद्ध करते हुए एक परिशिष्ट अनुरक्षित किया जाएगा।
An addendum listing the changes in chronological order as per format prescribed in Annexure I, is maintained in respect of the withdrawn File and Use application, on ongoing basis incorporating all the changes made till the date.
- (iii) पालिसीधारकों को उक्त विकल्पों के बारे में उपयुक्त रूप में सूचित किया जाएगा तथा बिन्दु 4 (i), 4(ii) और 4(iv) के संबंध में पालिसीधारकों से एक विशिष्ट अनुरोध प्राप्त किया जाएगा।
the policyholders are suitably informed about the options and a specific request has been obtained from policyholders in respect of point 4(i), 4(ii) & 4(iv).
- (iv) परिवर्तन संबंधित पालिसी दस्तावेज में उपयुक्त रूप में प्रलेखीकृत किये जाएँगे।
changes are appropriately documented in the respective policy document.
- (v) उपर्युक्त विकल्प देना पालिसीधारकों के हितों के लिए हानिकारक नहीं है।
offering the above options is not detrimental to the interests of the policyholders.
- (vi) उक्त परिपत्र के अधीन अनुमत रूप में विकल्प देते समय वर्तमान मानदंडों का अनुपालन किया जाएगा।
extant norms while offering the options as allowed under the circular are complied with.
- (vii) ऐसी उचित प्रणाली और प्रक्रियाएँ विद्यमान हों कि पालिसीधारकों को उपलब्ध विकल्पों के संबंध में उपयुक्त रूप में सूचित किया जाए तथा वे भली भाँति जानकारी प्राप्त निर्णय लें।
proper system and processes are in place such that the policyholders are appropriately informed of the options available and take a well informed decision.
- (viii) राइडर की अवधि आधार पालिसी के अंतर्गत बकाया पालिसी अवधि से अधिक नहीं होगी।
the term of rider does not exceed outstanding policy term under the base policy.
6. परिपत्र आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/पीआरओ/207/10/2022 दिनांक 04 अक्टूबर, 2022 के अध्याय । के खंड क के पैरा 5 के अनुसार गठित उत्पाद प्रबंध समिति (पीएमसी) इस परिपत्र के पैरा 4 के अंतर्गत अनुमत रूप में शामिल किये जानेवाले परिवर्तनों की समीक्षा करेगी और उनका अनुमोदन करेगी।

The Product Management Committee (PMC) constituted as per para 5 of section A of chapter I of circular IRDAI/ACTL/CIR/PRO/207/10/2022 dated 04th October, 2022 shall review and approve the changes to be introduced as allowed under para 4 of this circular.

7. अनुबंध I में उल्लिखित प्रत्याहरित उत्पादों में परिवर्तनों का विवरण नियुक्त बीमांकक की वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा।

Statement of changes to withdrawn products mentioned in Annexure I shall be submitted on annual basis along with Appointed Actuary's Annual Report.

8. बीमाकर्ता सुनिश्चित करेगा कि दस्तावेजों का पूरा सेट अनुरक्षित किया जाएगा तथा जब भी माँगा जाएगा तब वह अभिनिधारित उत्पादों के संबंध में आईआरडीएआई को तत्काल प्रस्तुत किया जाएगा। Insurer shall ensure that entire set of documents is maintained and the same shall be submitted immediately to IRDAI in respect of the products identified whenever called for.

9. यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

This circular comes into force with immediate effect.

मुख्य महाप्रबंधक (बीमांकन) / CGM (Actuarial)

प्रत्याहरित उत्पादों में परिवर्तनों का विवरण
Statement of changes to withdrawn products

क्र. सं. S. No.	पीएमसी द्वारा परिवर्तन के अनुमोदन की तारीख Date of Approval of change by PMC	उत्पाद का नाम Name of the product	उत्पाद की यूआईएन UIN of the product	प्रारंभ किया गया विकल्प Option introduced	परिवर्तनों का संक्षिप्त विवरण* Brief description of Changes*	कोई अन्य सूचना / टिप्पणी Any other Information/Remarks	परिवर्तन की तारीख को विद्यमान पालिसियों की संख्या Number of policies as on date of change	प्रस्तुति की तारीख को यथा - विद्यमान परिवर्तन का विकल्प देनेवाली पालिसियों की संख्या Number of policies opting the change as on date of submission

*पुनःप्रवर्तन और पालिसी ऋणों के लिए, संशोधित ब्याज-दर की तुलना में वर्तमान ब्याज-दर निर्दिष्ट करें।

*For Revival and Policy loans, please indicate existing interest rate vis a vis revised interest rate.

नियुक्त बीमांकक के हस्ताक्षर
Signature of Appointed Actuary

सीईओ / प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of CEO / Principal Officer